संख्या : 93/2016/1265(2)/छप्पन-2016-64/2013

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 21 नवम्बर, 2016**

विषय : नये क्रय किये गये वायुयान किंग एयर बी 250 (मॉडल बी 200जीटी) पर श्री सुरेश कुमार, अभियंता को विदेश में प्रशिक्षण कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 2934/ना0उ0वि0/इंजी/एफ-2/2016, दिनांक 07-10-2016 एवं पत्र संख्या- 3383/ना0उ0वि0/इंजी/एफ-2/2016, दिनांक 18-10-2016 के सन्दर्भ में और शासनादेश संख्या- 92/2016/1265/छप्पन-2016-64/2013, दिनांक 21.11.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में श्री सुरेश कुमार, अभियंता को राजकीय वायुयान किंग एयर -250 (माडल बी-200-जी0टी0) पर प्रशिक्षणदाता कम्पनी मैसर्स फ्लाइट सेफ्टी इन्टरनेशनल की विचिटा यू0एस0ए0 स्थित ट्रेनिंग एकेडमी में अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर दिनांक 28-11-2016 से 12-12-2016 तक (यात्रा तिथियों को सम्मिलित करते हुए) बी-200 सीरीज मेन्टीनेन्स इनीशियल एण्ड डिफरेन्स ट्रेनिंग हेतु रूपये 12,55,020/- (रूपये बारह लाख पचपन हजार बीस मात्र) के अग्रिम आहरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि रू0 12,55,020/- (रूपये बारह लाख पचपन हजार बीस मात्र) का अग्रिम आहरण/अग्रिम भुगतान वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या - ए-1-2774/दस-15(1)/69, दिनांक 25-10-1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10-6-2011 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा ।

3- प्रशिक्षण हेतु विदेश यात्रा से पूर्व प्रशिक्षु अभियन्ता से नियमानुसार बॉण्ड निष्पादित कराया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत अग्रिम के समायोजन की सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध कराई जायेगी ।

----- 2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत् लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : एफ0ए0-1-441/दस-2016, दिनांक 21 नवम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 93/2016/1265(3)/छप्पन-2016-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित अभियन्ता।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।